राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

एफ 2-3-2022-सात-शा. 7 भोपाल, दिनांक 19 मई 2022

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड (एक–ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उप–धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रकिया) नियम, 2022 है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगेः

परन्तु इन नियमों के नियम 5 के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएंः–**

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **'संहिता'** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959);

(ख) **'साइबर तहसीलदार'** से अभिप्रेत है, संहिता की धारा 19 की उप–धारा (4) के अधीन नियुक्त साइबर तहसीलदार;

(ग) **'इलेक्ट्रॉनिक संदेश'** से अभिप्रेत है, ई–मेल, शॉर्ट मेसेज सर्विस (एसएमएस) या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साधन, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमत किए जाएं, के माध्यम से कोई संदेश परिदत्त करना;

(घ) **'प्ररूप'** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ड़) **'पंजीकृत दस्तावेज'** से अभिप्रेत है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (कमांक 16 सन् 1908) के अधीन रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज;

(च) 'रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' से अभिप्रेत है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्रमांक 16 सन् 1908) की धारा 6 के अधीन नियुक्त, वरिष्ठ उप–पंजीयक को सम्मिलित करते हुए, उप–पंजीयक;

(छ) 'धारा' से अभिप्रेत है, संहिता की धारा; तथा

(झ) 'क्षेत्रीय तहसीलदार' से अभिप्रेत है, धारा 19 की उप–धारा (1), उप–धारा (2) तथा उप–धारा (3) के अधीन नियुक्त तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो तहसील या उसके भाग के क्षेत्र पर क्षेत्राधिकारिता रखता हो;

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं तथा संहिता तथा इसके अधीन बने नियमों में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो संहिता या उक्त नियमों में उन्हे उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

3. **नामांतरण तथा खाते का विभाजन नियम का लागू होना:**—साइबर तहसीलदार द्वारा व्यवहृत किए जाने वाले समस्त मामलों की कार्यवाहियों में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 एवं मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020 में दी गई प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

4. **पंजीकृत दस्तावेजों के माध्यम से भूमि में अधिकारों या हितों के अर्जन की प्रज्ञापना:**— रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा धारा 109 की उपधारा (2) के अधीन प्रज्ञापना प्ररूप–क में, निष्पादक की घोषणा प्ररूप क–1, दावेदार की घोषणा प्ररूप क–2 तथा मामले की फीस की रसीद के साथ, रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट पर ऑनलाइन भेजी जाएगी। ऐसी प्रज्ञापना, भूमि में अधिकारों या हितों के अर्जन के बारे में, धारा 109 के अधीन यथा अपेक्षित रिपोर्ट मानी जाएगी।

5. **नामांतरण या खाते के विभाजन के लिए रिपोर्ट या आवेदन का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण:**—

(1) नामांतरण अथवा खाते के विभाजन के लिए रिपोर्ट या आवेदन साइबर तहसील में न्याय निर्णयन हेतु रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) या सत्यापन के लिए किसी अन्य सिस्टम द्वारा जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने के पश्चात्, ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकेगा :

परंतु ऐसे अर्जन से संबंधित कोई दस्तावेज, रिपोर्ट या आवेदन के संलग्नक के रूप में प्रेषित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, यदि वे पंजीयन विभाग या आयुक्त भू–अभिलेख, जैसी भी स्थिति हो, की वेबसाइट पर उपलब्ध हों और जो ऐसी रिपोर्ट या आवेदन में सम्यक् रूप से संदर्भित किये गये हों।

(2) यदि रिपोर्टकर्ता व्यक्ति, दावेदार या आवेदक एक से अधिक हैं, तो उनमें से सभी को,–

(क) उपनियम (1) के अधीन उपबंधित रीति में अपनी पहचान स्थापित करना होगी; तथा

(ख) अपनी रिपोर्ट या आवेदन संयुक्त रूप से प्रस्तुत करने होंगे।

(3) धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भूमि में अधिकार या हित अर्जित करने की रिपोर्ट साईबर तहसीलदार को प्ररूप–ख में रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में ज्ञात इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से की जायेगी।

(4) कृषि के प्रयोजन के लिये निर्धारित भूमि के मामले में–

(एक) धारा 178 के अधीन खाते के समस्त सहखातेदार खाते में उनके हिस्सों के विभाजन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन प्ररूप–ग में; और

(दो) धारा 178–क के अधीन भूमिस्वामी अपने खाते के विभाजन के लिये आवेदन प्ररूप–घ में;

साइबर तहसीलदार को रेवेन्यू केस मेनेजमेन्ट सिस्टम के रूप से ज्ञात इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से कर सकेगा।

(5) कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि के मामले में, एक ही कार्यवाही के माध्यम से नामांतरण तथा खाते के विभाजन के लिए सभी हितबद्ध पक्षकार

संयुक्त आवेदन का प्ररूप–ङ में साइबर तहसीलदार को रेवेन्यू केस मेनेजमेन्ट सिस्टम के रूप में ज्ञात इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से कर सकेंगे।

6. मामले का पंजीकरणः–

(1) नियम 4 के अधीन प्रज्ञापना पर या नियम 5 के अधीन रिपोर्ट या आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर मामला पंजीकृत किया जाएगा और रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक जनरेट किया जाएगा। राजस्व प्रकरण क्रमांक संबंधित क्षेत्रीय तहसीलदार के न्यायालय की वाद सूची का भाग होगा और साइबर तहसीलदार द्वारा न्याय निर्णयन किए जाने वाले मामलों की सूची में प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) नियम 4 के अधीन प्रज्ञापना पर मामले के पंजीयन के पश्चात् निष्पादक तथा दावेदार को रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से प्ररूप–च में इलेक्ट्रॉनिक रूप में नोटिस जारी किया जाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन पर तामील किया जाएगा।

(3) उप नियम (2) के अधीन जारी नोटिस का प्रत्युत्तर ऐसे नोटिस में उल्लिखित वेब लिंक पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करना होगा।

7. सार्वजनिक नोटिस का जारी किया जानाः–

(1) साइबर तहसीलदार द्वारा नामांतरण के मामले में प्ररूप–छ में तथा कृषि भूमि के खाते के विभाजन के मामले में प्ररूप–ज में, सार्वजनिक नोटिस,–

(क) रेवेन्यू केस मेनेजमेंट सिस्टम की बेवसाईट पर;

(ख) तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर; और

(ग) यथास्थिति, ग्राम पंचायत या म्युनिस्पेलिटी के कार्यालय के सूचना पटल पर :

इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जाएगा।

(2) क्षेत्रीय तहसीलदार द्वारा सार्वजनिक नोटिस के प्रदर्शन का अनुवर्तन, साइबर तहसीलदार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिवेदित करवाया जाएगा।

(3) सार्वजनिक नोटिस संबंधित ग्राम के या स्थानीय निकाय के वार्ड के व्यक्तियों को, आयुक्त भू–अभिलेख के कार्यालय में उपलब्ध मोबाईल फोन नम्बरों के डाटाबेस में यादृच्छिक रूप से (रेन्डमली) चयन करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक संदेश के माध्यम से भी भेजा जाएगा।

(4) उप नियम (1) के अधीन जारी सार्वजनिक नोटिस का प्रत्युत्तर ऐसे नोटिस में उल्लिखित वेब लिंक पर इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करना होगा।

8. पटवारी या नगर सर्वेक्षक का प्रतिवेदनः—

(1) प्रतिवेदन प्रस्तुति के लिए साइबर तहसीलदार द्वारा, यथास्थिति, पटवारी या नगर सर्वेक्षक की ओर, प्ररूप—ञ में ज्ञापन जारी किया जाएगा तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में संचारित किया जाएगा।

(2) उप—नियम (1) के अधीन जारी ज्ञापन के प्रत्युत्तर में, यथास्थिति पटवारी या नगर सर्वेक्षक का प्रतिवेदन प्ररूप—ञ में साइबर तहसीलदार को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

9. क्षेत्रीय तहसीलदार की ओर मामले का संचारणः—

(1) यदि नियम 7 के उप नियम (1) के अधीन जारी सार्वजनिक नोटिसके प्रत्युत्तर के रूप में या मामले के संबंध में, यथास्थिति पटवारी अथवा नगर सर्वेक्षक के प्रतिवेदन में कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो मामला रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा क्षेत्रीय तहसीलदार को संचारित किया जाएगा। मामले से संबंधित पक्षकारों को ऐसे संचारण के विषय में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सूचित किया जाएगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन संचारित किए गए समस्त मामलों में क्षेत्रीय तहसीलदार द्वारा न्याय निर्णयन किया जाएगा।

10. आदेश का पारित किया जानाः—

(1) धारा 110 की उप—धारा (5) या धारा 178 या धारा 178—क के अधीन आदेश पारित करने के पूर्व, साइबर तहसीलदार सत्यापित करेगा कि—

(क) रिपोर्ट या आवेदन में सभी अपेक्षित जानकारियां अन्तर्विष्ट हैं;

(ख) प्रश्नाधीन भूमि सम्यक् रूप से वर्णित है और भू—अभिलेखों की प्रविष्टियों की तुलना में कहीं कोई भिन्नता नहीं है; तथा

(ग) रिपोर्ट या आवेदन उसी व्यक्ति या उन्हीं व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किया गया है, जिसके/जिनके द्वारा उसे निष्पादित किया जाना आशयित है।

(2) उप—नियम (1) में उपबंधित अनुसार सत्याधन किए जाने पर नामांतरण के मामले का निराकरण धारा 110 में अविवादित मामले के लिए विहित समय—सीमा के भीतर किया जाएगा।

11. आदेश और अद्यतीकृत भू—अभिलेखों की प्रतिः—आदेश पारित किए जाने के पश्चात्, साइबर तहसीलदार भू—अभिलेखों में तत्काल आवश्यक अद्यतनीकरण करेगा। इसके पश्चात् वह इनकी प्रतियां सभी पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक संदेश के माध्यम से भेजेगा।

प्ररूप – क

(नियम 4 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

पंजीकृत दस्तावेजों के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी की प्रज्ञापना

प्रति,

साइबर तहसीलदार / तहसीलदार

.....

.....

पंजीकृत दस्तावेज क्रमांक ..... के साथ निष्पादक और दावेदार द्वारा क्रमशः प्ररूप क–1 तथा प्ररूप क–2 में उप पंजीयक के समक्ष किए गए घोषणा पत्रों और मामले की फीस की रसीद आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न हैं। दस्तावेज में अभिलिखित दस्तावेज की प्रकृति और संव्यवहार की श्रेणी ..... है।

उप पंजीयक का नाम .....

.....

जिला .....

स्थान .....

दिनांक .....

---

*यह कम्प्युटर जरनेटेड दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।

प्ररूप -- क–1

(नियम 4 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

निष्पादक द्वारा घोषणा

प्रति,

साइबर तहसीलदार / तहसीलदार

.....

.....

समक्ष– उप पंजीयक .....

1. मैं / हम –

नाम	माता / पिता / पति / संरक्षक का नाम	पूर्ण पता	ई–मेल पता	मोबाईल फोननं.	'पहचान पत्र का नाम और उसका नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

'आधार / मतदाता पहचान पत्र / ड्राईविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / पेन नम्बर (जो लागू हो, उसका उल्लेख करें)

एतद्द्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे / हमारे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही एवं सत्य है तथा मेरे / हमारे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं / हम परिवचन करता हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाए जाने पर मेरे / हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।

2. मैं / हम मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का हूँ / के हैं और मैं / हम भूमि को ऐसे व्यक्ति, जो ऐसी जनजाति का नहीं है को अंतरित कर रहा हूँ / रहे हैं, अतः ऐसे अंतरण के लिए कलेक्टर की अनुमति आदेश क्र. ..... दिनांक..... से प्राप्त की गई है।

अथवा

मैं / हम और अंतरिती / दावेदार मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का हूँ / के हैं, अतएव कोई अनुमति अपेक्षित नहीं है।

अथवा

मैं/हम मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का नहीं हूँ/के नहीं हैं, अतएव अंतरित की जा रही भूमि के अंतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

3. मैं/हम और अंतरिती/दावेदार मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का नहीं हूँ/के नहीं हैं और अंतरित की जा रही भूमि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है तथा कृषि भूमि नहीं है, अतएव ऐसे अंतरण के लिए कलेक्टर की अनुमति आदेश क्र. ..... दिनांक ..... से प्राप्त की गई है।

अथवा

मैं/हम और अंतरिती/दावेदार मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का नहीं हूँ/के नहीं हैं और अंतरित की जा रही भूमि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है तथा कृषि भूमि है, अतएव कोई अनुमति अपेक्षित नहीं है।

अथवा

मैं/हम और अंतरिती/दावेदार मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का नहीं हूँ/के नहीं हैं, और अंतरित की जा रही भूमि न तो अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है और न ही कृषि भूमि है, अतएव कोई अनुमति अपेक्षित नहीं है।

4. मैं/हम अंतरित की जा रही भूमि के, मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968 (क्रमांक 28 सन् 1968) की धारा 33 के अधीन या मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 158 की उपधारा (3) के अधीन, भूमिस्वामी हैं, अतएव कलेक्टर की अनुमति आदेश क्र. ..... दिनांक ..... से प्राप्त की गई है।

अथवा

मैं/हम अंतरित की जा रही भूमि के, मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968 (क्रमांक 28 सन् 1968) की धारा 33 के अधीन या मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 158 की उपधारा (3) के अधीन, भूमिस्वामी नहीं हैं, अतएव कोई अनुमति अपेक्षित नहीं है।

5. भूमि मेरी/हमारी पैतृक सम्पत्ति है तथा मैं/हम अंतरित की जा रही सम्पत्ति के एकमात्र/संयुक्त स्वामी हैं।

अथवा

भूमि मेरी/हमारी स्वअर्जित सम्पत्ति है तथामैं/हम अंतरित की जा रही सम्पत्ति के एकमात्र/संयुक्त स्वामी हैं।

6. अंतरित की जा रही भूमि के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष कोई वाद लंबित नहीं है।

अथवा

अंतरित की जा रही भूमि के संबंध में न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष लंबित वाद के विवरण निम्नानुसार हैं :–

न्यायालय/अधिकरण/प्राधिकारी का नाम	प्रकरण क्रमांक	प्रकरण के पक्षकारों के नाम व पते
(1)	(2)	(3)

7. अंतरित की जा रही भूमि सभी प्रकारों के भारों तथा विल्लंगमों से मुक्त है।

अथवा

आज दिनांक को भूमि पर निम्नानुसार भार तथा विल्लंगम आदि अस्तित्वमान हैं :–

भारों अथवा विल्लंगमों के ब्यौरे .....

8. मैं/हम इस भूमि को अन्तरित करने के सम्पूर्ण अधिकार रखता हूँ/रखते हैं तथा अन्तरित की जाने वाली भूमि के अन्तरण के संबंध में कोई अन्य अंतरण विलेख, अनुबंध या मुख्त्यारनामा आज दिनांक को अस्तित्व में नहीं है।

9. अंतरित की जा रही भूमि के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन भू–अर्जन की कोई कार्यवाही आज दिनांक को प्रचलित नहीं है।

10. अंतरित की जा रही भूमि किसी सरकारी योजना के अधीन अर्जित नहीं की गई थी या और किसी लोक प्रयोजन के उपयोग में नहीं है।

(जो लागू न हो, काट दें)

स्थान ..... नाम तथा हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

प्ररूप – क–2

(नियम 4 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

दावेदार द्वारा घोषणा

प्रति,

साइबर तहसीलदार/तहसीलदार

....

.....

समक्ष– उप पंजीयक .....

मैं/हम एतद द्वारा, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 110 के अधीन भू–अभिलेखों में नामांतरण के लिए अनुरोध एवं भूमि में के अधिकारों तथा हितों के अर्जन की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

1. अधिकारों या हितों को अर्जित करने वाले व्यक्तियों के विवरण –

क्र.	नाम तथा पता	माता/पिता/पति/संरक्षक का नाम	आयु	ई–मेल पता	मोबाईल फोन नं.	आदिम जनजाति/अन्य	पहचान पत्र का नाम तथा उसका नम्बर	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

'आधार/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/पेन नम्बर (जो लागू हो, उसका उल्लेख करें)

2. उन व्यक्तियों के विवरण जिनके अधिकारों या हितों का दावेदार को अंतरण या समनुदेशित किया गया है –

क्र.	नाम तथा पता	माता/पिता/पति/संरक्षक का नाम	आयु	ई–मेल पता	मोबाईल फोननं.	आदिम जनजाति / अन्य	'पहचान पत्र का नाम तथा उसका नम्बर	हितों का प्रकार तथा उसका विस्तार	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

'आधार/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/पेन नम्बर (जो लागू हो, उसका उल्लेख करें)

3. भूमि तथा अधिकारों या हितों के विवरण :–

क्रमांक	पटवारी हल्का/ सेक्टर कमांक	ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्गमीटर में)	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर अधिकारों/हितों का अर्जन हुआ है	अधिकारों/हितों के अर्जन करने वाले व्यक्तियों के नाम (जैसा किपैरा–1 के कॉलम (2) में दिया गया है।)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अधिकारों/हितों के अर्जन करने वाले व्यक्तियों के अंश/क्षेत्रफल	इस अर्जन को सम्मिलित करते हुए व्यक्ति के खाते का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)		
	दो फसलीय सुनिश्चित सिंचाई	एक फसलीय सुनिश्चित सिंचाई	सूखी भूमि
(8)	(9)	(10)	(11)

4. जमा की गई फीस का विवरण :–

(रुपये में)

राशि अंकों में	राशि शब्दों में	फीस की रसीद का विवरण
(1)	(2)	(3)

1. मैं/हम (विवरण ऊपर दिये गए हैं) एतद्द्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे/हमारे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही एवं सत्य है तथा मेरे/हमारे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं/हम परिवचन करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाए जाने पर मेरे/हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

2. मैंने/हमने इस संव्यवहार से संबंधित नामांतरण के लिए किसी अन्य पदाधिकारी या न्यायालय के समक्ष आवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

3. मैं/हम इस आवेदन या रिपोर्ट में मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण के लिए अनुरोध करता हूँ/करते हैं।

4. मैं/हम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग से हूँ/हैं।

अथवा

मैं/हम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग से नहीं हूँ/नहीं हैं और ऐसी भूमि के अंतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

5. अंतरित की जा रही भूमि में अधिकारों या हितों के अर्जन के बांद मेरी/हमारी ओर से मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक 20 सन् 1960) के किसी प्रातधान का कोई सल्लंघन नहीं होगा।

(जो लागू न हो, काट दें)

स्थान ..... नाम तथा हस्ताक्षर

दिनांक .....

प्ररूप- ख

(नियम 5 देखें)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022 के नियम 5 के अनुसरण में नामांतरण के लिए रिपोर्ट या आवेदन

प्रति,

तहसीलदार, तहसील ..... जिला ..... (साईबर तहसीलदार)

मध्यप्रदेश

भाग-एक

मैं/ हम एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन भू-अभिलेखों में नामांतरण के लिए अनुरोध एवं भूमि में के अधिकारों तथा हितों की अर्जन रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ/करते है।

1. अधिकारों या हितों को अर्जित करने वाले व्यक्तियों के विवरण -

1	आवेदक-1 का नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	
2	आवेदक-2 का नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	

	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	

2. भूमि-स्वामी की मृत्यु के मामले में मृतक का, भू-अभिलेख में उल्लेखित विवरण

1	मृतक भूमिस्वामी का नाम	
	माता/ पिता / पति का नाम	
	भू-अभिलेख अनुसार - खाता क्रमांक ग्राम/ नगरीय क्षेत्र पटवारी हलका/ सेक्टर क्रमांक तहसील जिला	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	मृत्यु दिनांक	
	मृत्यु प्रमाण पत्र के विवरण (प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक व किसके द्वारा जारी किया गया)	

3. उन व्यक्तियों के विवरण जिनके द्वारा अधिकार/हित/दावे का अंतरण/समनुदेशन/ त्यजन किया गया है:

1	नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	
2	नाम	

	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	

4. भूमि तथा अधिकारों या हितों के विवरण:-

जिला					
तहसील					
पटवारी हलका क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक					
ग्राम/ नगरीय क्षेत्र का नाम					
सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-राजस्व (रुपये में)	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर अधिकारों/हितों का अर्जन हुआ है। (हेक्टेयर में)	
अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नाम और उनका हिस्सा, (यदि हिस्सा समान न हो तो पैरा-1 में दिए गए आवेदकों के क्रमानुसार)	अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का नाम	आई.डी. * का प्रकार एवं क्रमांक	हिस्सा		
	1				
	2				
	3				
	* आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/ ड्रायविंग लायसेंस/ पासपोर्ट /पेन नंबर आदि (जो भी लागू हो उसका उल्लेख करें)				

5. मृत भूमिस्वामी के विधिक वारिसों का विवरण

1	नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	मृत भूमिस्वामी से संबंध	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	
	हिस्सा	
2	नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	मृत भूमिस्वामी से संबंध	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	
	हिस्सा	

6. भूमिस्वामी अधिकार/ हित के अर्जन का प्रकार -

अनुक्रमांक	प्रकार	अपेक्षित दस्तावेज का क्रमांक एवं दिनांक	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)

1	विरासत द्वारा	मृत भूमिस्वामी का मृत्यु प्रमाण का क्रमांक, दिनांक एवं जारी करने वाले कार्यालय का नाम व पता	मृत भूमिस्वामी के सभी विधिक वारिस क्रमांक 1 में दिये गये विवरण अनुसार आवेदक का क्रमांक एवं नाम
2	रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा	ई-रजिस्टर्ड वसीयत का क्रमांक व दिनांक	मृत भूमिस्वामी (वसीयतकर्ता के सभी वारिसों के द्वारा आवेदन किया जाना है)
3	रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा	ई-रजिस्टर्ड दान पत्र का क्रमांक व दिनांक	
4	रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा	ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का क्रमांक व दिनांक	
5	भूमि में दावों के त्यजन द्वारा	ई -रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख का क्रमांक व दिनांक	
6	भूमि विनिमय द्वारा	ई-रजिस्टर्ड विनिमय दस्तावेज का क्रमांक व दिनांक	

7. जमा की गई फीस का विवरण:- (रूपयो में)

राशि अंको में	राशि शब्दों में	फीस की रसीद का विवरण
(1)	(2)	(3)

घोषणा

1. मैं/ हम ..... पुत्र/ पुत्री/पति..... (पूर्ण पता)..... मोबाइल फोन नंबर ..... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं/हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नही गई है/ मैं/हम यह भी समझता हूं/ समझते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे/ हमारे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

2. मैं/ हम निवेदन करता हूं/ करते हैं कि भू अभिलेखों में नामांतरण इस रिपोर्ट/ आवेदन मे मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किया जाए।
3. यह मेरा/ हमारा नामांतरण की प्रथम रिपोर्ट है और मेरे / हमारे द्वारा कोई अन्य रिपोर्ट इसके पूर्व इस न्यायालय के समक्ष या क्षेत्रीय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है।
4. मेरे द्वारा पैरा-6 में उल्लेखित ई-रजिस्टर्ड दस्तावेज के निष्पादन की तिथि आवेदन दिनांक से 6 माह के पूर्व की नहीं है।

दिनांक .....

स्थान .....

आवेदकगण का नाम एवं हस्ताक्षर

1. .....

2. .....

3. .....

भाग-दो

अभिस्वीकृति

प्रति,

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पुत्र/पुत्री/पति .....

पता .....

उपरोक्त भाग-एक में प्रस्तुत रिपोर्ट की एतद्द्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।

दिनांक

* साइबर तहसीलदार

---

* यह कम्प्युटर जनरेटेड दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।

प्ररूप- ग

(नियम 5 देखिये)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

खाते के विभाजन के लिए आवेदन

प्रति,

तहसीलदार तहसील ..... जिला .....(साइबर तहसीलदार)

मध्यप्रदेश

भाग-एक

हम, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 178) के अधीन नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार खाते में के हमारे हिस्से के निभाजन के लिए निवेदन करते हैं-

1 खाते के सभी सहखातेदारों/आवेदकों के विवरण -

1	आवेदक-1 का नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	
2	आवेदक-2 का नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	

	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	

2. खाते के विवरण जिसका विभाजन किया जाना है:-

जिला			
तहसील			
पटवारी हलका क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक			
ग्राम/ नगरीय क्षेत्र का नाम			
सहखातेदारों द्वारा संयुक्त खाते में धारित कुल कृषिभूमि का विवरण (जैसा भू-अभिलेख में अभिलिखित है)	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-राजस्व (रुपये में)

3. प्रस्तावित विभाजन-

अनुक्रमांक	प्रस्तावित खातेदार का नाम	माता/ पिता/ अभिभावक का नाम	लिंग	उम्र	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-राजस्व (रूपये में)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

4. रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख के मामले में विवरण:-

रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख क्रमांक.....

दिनांक .....

5. जमा की गई फीस के ब्यौरे- (रूपयो में)

राशि अंको में	राशि शब्दों में	जमा की गई फीस की रसीद के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

घोषणा

1. हम ..... पुत्र/ पुत्री/पति..... (पूर्ण पता)..... मोबाइल नंबर ..... एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नही गई है हम यह भी समझते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में हमारे विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी ।
2. हम निवेदन करते हैं कि खाते का विभाजन इस आवेदन मे हमारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किया जाए।
3. यह हमारा खाते के विभाजन की प्रथम आवेदन है और हमारे द्वारा कोई अन्य आवेदन इसके पूर्व इस न्यायालय के समक्ष या क्षेत्रीय तहसीलदार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

आवेदकगण के नाम तथा हस्ताक्षर

दिनांक .....

स्थान .....

1. .....
2. .....
3. .....

भाग-दो

अभिस्वीकृति

प्रति,

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पुत्र/पुत्री/पति .....

पता .....

उपरोक्त भाग-एक में प्रस्तुत आवेदन की एतद्द्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।

* साइबर तहसीलदार

दिनांक

---

* यह कम्प्युटर जनरेटेड दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।

प्ररूप- घ

(नियम 5 देखें)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

भूमिस्वामी द्वारा जीवनकाल के दौरान खाते के विभाजन के लिए आवेदन

प्रति,

तहसीलदार तहसील ..... जिला .....(साइबर तहसीलदार)

मध्यप्रदेश

भाग-एक

मैं ..... (नाम) एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 178-क के अधीन अपने विधिक वारिसों के मध्य मेरे जीवनकाल के दौरान मेरे खाते का नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार विभाजन के लिये निवेदन करता हूँ :-

1. आवेदक भूमिस्वामी का विवरण -

1	आवेदक का नाम (भूमिस्वामी)	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल एड्रेस	

2. खाते का विवरण जिसका विभाजन किया जाना है-

जिला			
तहसील			
पटवारी हलका क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक			
ग्राम/ नगरीय क्षेत्र का नाम			
खाते की कृषि भूमि के विवरण (भू-अभिलेख में अभिलिखित अनुसार)	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-राजस्व (रुपये में)

3. आवेदक भूमिस्वामी के समस्त विधिक वारिसों के विवरण -

1	विधिक वारिस-1 का नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल एड्रेस	
2	विधिक वारिस-2 का नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल एड्रेस	

4. प्रस्तावित विभाजन-

अनुक्रमांक	आवेदक एवं उसके विधिक वारिसों का नाम (प्रस्तावित विभाजन अनुसार)	माता/ पिता/ पति/संरक्षक का नाम	लिंग	उम्र	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-राजस्व (रूपये में)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	आवेदक (भूमिस्वामी)							
2	विधिक वारिस-1							
3	विधिक वारिस-2							

5. जमा की गई फीस के ब्यौरे- (रूपयो में)

राशि अंको में	राशि शब्दों में	जमा की गई फीस की रसीद के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

घोषणा

1. हम..... पुत्र/ पुत्री/पति..... (पूर्ण पता)..... मोबाइल फोन नंबर ..... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं/हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी बात छिपाई नही गई है। मैं यह भी समझता हुं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

2. हम निवेदन करते हैं कि भू अभिलेखों में मेरे खाते का विभाजन इस आवेदन मे मेरे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किया जाए।

3. हम घोषणा करते हैं कि हम सभी (आवेदक भूमिस्वामी तथा उसके समस्त वारिस) प्रस्तावित विभाजन से सहमत है और हमे खाते के इस विभाजन के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

4. यह मेरे खाते के विभाजन का प्रथम आवेदन है और हमारे द्वारा कोई अन्य आवेदन इसके पूर्व इस न्यायालय के समक्ष या क्षेत्रीय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

आवेदक तथा उसके विधिक वारिसों के नाम तथा हस्ताक्षर

दिनांक .....

स्थान .....

1. आवेदक (भूमिस्वामी).....
2. विधिक वारिस-1 .....
3. विधिक वारिस-2 .....

भाग-दो

अभिस्वीकृति

प्रति,

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पुत्र/पुत्री/पति .....

पता .....

उपरोक्त भाग-एक में प्रस्तुत आवेदन की एतद्द्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।

दिनांक

* साइबर तहसीलदार

* यह कम्प्युटर जनरेटेड दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।

प्ररूप- ङ

(नियम 5 देखें)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि के मामले में नामांतरण तथा खाते के विभाजन के लिए एक साथ कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट एवं आवेदन

प्रति,

तहसीलदार तहसील ..... जिला .....(साइबर तहसीलदार)

मध्यप्रदेश

भाग-एक

हम .... (नाम)..... एतद्द्वारा, भूमि में भूमिस्वामी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1059) की उपधारा (1) की धारा 109 के अधीन अधिकार या हित के अर्जन की रिपोर्ट तथा भू-अभिलेखों में नामांतरण और धारा 178 के अधीन खाते के विभाजन का निवेदन करते है:-

1. भूमि में अधिकारों /हितों का अर्जन करने वाले व्यक्तियो / आवेदकों का विवरण -

1	आवेदक-1 का नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	
2	आवेदक-2 का नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	

2. उन व्यक्तियों का विवरण जिनके द्वारा अधिकार/हित/दावे का अंतरण/समनुदेशन/ त्यजन किया गया है:

1	नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	
2	नाम	
	माता/ पिता / पति / संरक्षक का नाम	
	लिंग	
	आयु	
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य	
	पहचान पत्र का नाम, क्रमांक एवं दिनांक	
	पता	
	मोबाइल फोन नंबर	
	ई-मेल पता	

3. विद्यमान भू-अभिलेख अनुसार भूमि का विवरण -

जिला				
तहसील				
पटवारी हलका क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक				
ग्राम/ नगरीय क्षेत्र का नाम				
सर्वे संख्यांक/ ब्लॉक नंबर/ प्लाट नंबर	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल जिसपर भूमिस्वामी अधिकार/ हित का अर्जन हुआ है (हेक्टेयर में)	

4. भूमिस्वामी अधिकार/ हित के अर्जन का प्रकार -

अनुक्रमांक	प्रकार	अपेक्षित दस्तावेज का क्रमांक एवं दिनांक	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	विरासत द्वारा	मृत भूमिस्वामी का मृत्यु प्रमाण का क्रमांक एवं दिनांक भूमिस्वामी का नाम और जारी करने वाले अधिकारी का पता का विवरण	

2	रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा	रजिस्टर्ड वसीयत का क्रमांक व दिनांक	
3	रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा	रजिस्टर्ड दान पत्र का क्रमांक व दिनांक	
4	रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा	रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का क्रमांक व दिनांक	
5	भूमि में दावों के त्यजन द्वारा	रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख का क्रमांक व दिनांक	
6	भूमि विनिमय द्वारा	रजिस्टर्ड दस्तावेज का क्रमांक व दिनांक	

5. नामांतरण उपरांत प्रस्तावित विभाजन-

जिला								
तहसील								
पटवारी हलका क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक								
ग्राम/ नगरीय क्षेत्र का नाम								
अनुक्रमांक	प्रस्तावित खातेदार का नाम	माता/ पिता/ अभिभावक का नाम	लिंग	उम्र	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-राजस्व (रूपये में)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

6. फीस के ब्यौरे- (रूपयो में)

राशि अंको में	राशि शब्दों में	जमा की गई फीस की रसीद के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

घोषणा

1. हम ..... पुत्र/ पुत्री/पति..... (पूर्ण पता)..... मोबाइल नंबर ..... एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नही गई है, हम यह भी समझते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में हमारे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
2. हम निवेदन करते हैं कि भू अभिलेखो में हमारे खाते का विभाजन इस आवेदन मे हमारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किया जाए।
3. यह हमारा खाते के विभाजन की प्रथम आवेदन है और हमारे द्वारा कोई अन्य आवेदन इसके पूर्व इस न्यायालय के समक्ष या क्षेत्रीय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

4. हमारे द्वारा उपलब्ध कराया गया रजिस्टर्ड दस्तावेज के निष्पादन की तिथि आवेदन दिनांक से 6 माह के पूर्व की नहीं है।

दिनांक .....

स्थान .....

आवेदकगण का नाम एवं हस्ताक्षर

1. .....

2 .....

3 .....

भाग-दो

अभिस्वीकृति

प्रति.

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पुत्र/पुत्री/पति .....

पता .....

उपरोक्त भाग-एक में प्रस्तुत आवेदन की एतद्द्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।

दिनांक

* साइबर तहसीलदार

---

* यह कम्प्युटर जनरेटेड दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।

प्ररूप – च

(नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, तहसील.....जिला.....
(साइबर तहसीलदार) म.प्र. .....

आवेदन पत्र क्रमांक .....

प्रकरण क्रमांक .....

दस्तावेज के निष्पादक तथा दावेदार को नोटिस

प्रति,

1. श्री .....(रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकृत दस्तावेज का निष्पादक)

2. श्री .....(रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकृत दस्तावेज का दावेदार)

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में दिए गए उल्लेख अनुसार भू–अभिलेखों में परिवर्तन की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप, भू–अभिलेखों में विचाराधीन ऐसे परिवर्तन के संबंध में, दिनांक ..... के पूर्व अपनी आपत्तियां वेब लिंक ..... द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

आपके द्वारा दिनांक.....को या उसके पूर्व आपत्तियां प्रस्तुत नहीं कर पाने की स्थिति में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	ग्राम/ नगरीय क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक/ भू–खंड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विद्यमान भू–अभिलेखों में अंकित धारक/ धारकों का नाम, माता/पिता/पति का नाम तथा पूर्ण पता	उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का नाम, माता/पिता/पति का नाम तथा पूर्ण पता जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

मेरे द्वारा आज दिनांक ..... को जारी किया गया।

दिनांक .....

'साइबर तहसीलदार का नाम .....

प्ररूप – छ

(नियम 7 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, तहसील.....जिला.....
(साइबर तहसीलदार) म.प्र. .....

प्रकरण क्रमांक .....

नामांतरण के मामले में सार्वजनिक नोटिस

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में दिए गए उल्लेख अनुसार भू–अभिलेखों में परिवर्तन की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसके हित भू–अभिलेखों में विचाराधीन ऐसे परिवर्तन से प्रभावित होना संभावित हों, दिनांक .... के पूर्व अपनी आपत्तियां वेब लिंक ..... द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

दिनांक.....को या उसके पूर्व आपत्तियां प्रस्तुत नहीं कर पाने की स्थिति में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	ग्राम/ नगरीय क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक/ भू–खंड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विद्यमान भू–अभिलेखो में अंकित धारक/ धारकों का नाम, माता/पिता/पति का नाम तथा पूर्ण पता	उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का नाम, माता/पिता/पति का नाम तथा पूर्ण पता जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

मेरे द्वारा आज दिनांक ..... को जारी किया गया।

दिनांक .....

'साइबर तहसीलदार का नाम .....

'यह कम्प्यूटर जनरेट दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं हैं।

प्ररूप –ज

(नियम 7 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, तहसील.....जिला.....
(साइबर तहसीलदार) म.प्र. .....

प्रकरण क्रमांक .....

खाते के विभाजन के मामले में सार्वजनिक नोटिस

जबकि

क्रमांक	आवेदकों के नाम	माता/पिता/पति का नाम	निवासी
(1)	(2)	(3)	(4)

ने इस न्यायालय के समक्ष नीचे विनिर्दिष्ट खाते में के, अपने–अपने हिस्से के विभाजन के लिए सहखातेदारों के रूप में आवेदन किया है।

या

नीचे विनिर्दिष्ट अपने खाते या उसके अंश के अपने जीवनकाल में अपने विधिक वारिसों के मध्य विभाजन के लिए भूमिस्वामी के रूप में आवेदन किया है।

(जो लागू न हो, उसे काट दें)

और उक्त खाते में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, वेब लिंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करें।
आपके द्वारा दिनांक ..... को या उसके पूर्व आपत्तियों को प्रस्तुत नहीं कर पाने की स्थिति में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

खाते के विवरण

जिला.....तहसील.....पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक .....

ग्राम/नगर का नाम .....

खाता क्रमांक	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू–राजस्व (रुपये में)

मेरे द्वारा आज दिनांक ..... को जारी किया गया।

दिनांक .....

'साइबर तहसीलदार का नाम .....

'यह कम्प्यूटर जनरेट दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं हैं।

प्ररूप –झ

(नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, तहसील.....जिला.....
(साइबर तहसीलदार) म.प्र. .....

प्रकरण क्रमांक .....

ज्ञापन

प्रति,

पटवारी/नगर सर्वेक्षक .....

ग्राम तथा हल्का क्र. ...../नगरीय क्षेत्र तथा सेक्टर क्र. .....

तहसील ..... जिला .....

विषय :-- भू–अभिलेखों में परिवर्तन के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु।

श्री/श्रीमती ..... माता/पिता/पति .... ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम ..... तहसील ..... . जिला ..... द्वारा प्रस्तुत भूमि मे अधिकारों या हितों के अर्जन की रिपोर्ट/आवेदन संलग्न है। दस्तावेज का पंजीयन क्रमांक ..... है, और दस्तावेज का अवलोकन लिंक को क्लिक करकिया जा सकता है।

2/ कृपया अपना प्रतिवेदन प्ररूप–ञ में दिनांक ..... तक प्रस्तुत करें।

स्थान .....

दिनांक .....

'साइबर तहसीलदार का नाम .....

'यह कम्प्यूटर जनरेट दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं हैं।

प्ररूप –ञ

(नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022

प्रकरण क्रमांक .....

पटवारी/नगर सर्वेक्षक का प्रतिवेदन

प्रति,

साइबर तहसीलदार

....

1. मामले से संबंधित ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर भू–अभिलेख में प्रस्तावित परिवर्तन करने में कोई बाधा प्रतीत होती हो।

अथवा

भू–अभिलेखों में प्रस्तावित परिवर्तन निम्नलिखित आपत्तियों के आधार पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता (कृपया मामले पर लागू आपत्तियों को चिन्हित (✓) करें) –

(1) दस्तावेज का निष्पादक वह व्यक्ति नहीं है जिसका नाम भू–अभिलेखों में धारकके तौर पर अभिलिखित है।

(2) संपूर्ण भूमि या उसका अश भाग पूर्व से ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को अंतरित हो चुका है, यद्यपि भू–अभिलेखों मे नामांतरण नहीं किया गया है।

(3) लिखित में मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसी भूमि के अंतरण पर रोक है या किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के आदेश से प्रतिबंधित है।

(4) भूमि का अन्तरणकर्ता आदिम जनजाति वर्ग का है और भूमि का अंतरिती आदिम जनजाति से भिन्न वर्ग का है।

(5) भूमि देवस्थानी भूमि या सेवा भूमि है, अथवा भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968 के अधीन आवंटन द्वारा अर्जित है या मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) की धारा 158 की उपधारा (3) के भूमिस्वामी की है।

(6) यह भूमि भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक 30 सन् 2013) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन भू–अर्जन से सबंधित लबित कार्यवाहियों की विषयवस्तु है।

(7) मृत भू–धारी के समस्त उत्तराधिकारियो का आवेदन मे उल्लेख नहीं किया गया है। छोड़े गए उत्तराधिकारियों के नाम, संबध व पते नीचे दिए जा रहे है –

....

(8) अन्य कोई कारण (विवरण दें) ....

2. मैंने सभी संलग्न दस्तावेजों/प्ररूपों का अवलोकन किया है और उनकी जांच कर ली है।

3. प्रतिवेदन में उल्लिखित आपत्तियों के समर्थन में सुसंगत दस्तावेज और कथन संलग्न प्रेषित हैं।

पटवारी/नगर सर्वेक्षक का नाम . ...

मोबाईल फोन नम्बर..... ....

दिनांक .. .. पटवारी हल्का क्र. .....नगरीय क्षेत्र का नाम/सेक्टर क्र. .....

तहसील .... जिला ... .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2022

क्र. एफ 2-3-2022-सात-शा. 7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-3-2022-सात-शा. 7, दिनांक 19 मई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.